आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 04/2024

No.2024/ACII/2/2 **New Delhi, dated: 24-01-2024**

The General Managers/PFAs
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: ACS No_04_ to Indian Railway Financial Code Volume-II

The allocation of expenditure on surveys is governed by the guidelines given in Para 724 of IRFC Volume –I and Explanatory Notes -1110 and 1111, 1112, 1113 of IRFC Volume-II.

2. The matter has been reviewed and it has been decided by Ministry of Railways to amend Explanatory Notes -1110 and 1111, 1112, 1113. of IRFC Volume-II (regarding allocation of the expenditure on Surveys) as per Advance Correction Slip No. 04 (copy enclosed).

3. Please acknowledge receipt.

(Ajay Bartwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

No.2024/ACII/2/2 **New Delhi, dated: 24-01-2024**

Copy to:
i) Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
ii) PFAs, Indian Railways.
iii) FA & CAO(C)s, Indian Railways

(Ajay Bartwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No.011- 23047018
E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

Copy to: OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR, Advisor/MR, Sr. PPSs/PPSs/PSs to Board Members, Secretary, DG/RHS, DG/RPF, ADG/DS, Additional Members, OSDs, Advisors and Executive Directors, EDCE(G), DCE(G), DIP, Editor/Indian Railways, Editor/Bhartiya Rail ,O&M Branch of Board's office.

Advanced Correction Slip No.04

Indian Railway Financial Code Volume-II (Reprint Edition 2022

Classification of Capital and Other Works Expenditure (Appendix-II)

Please modify Plan Head 1100 as follows:

Plan Head	Existing	Revised
IRFC Volume-II Explanatory Notes -1110	Preliminary expenses of all kinds connected with all surveys including the Final Location Survey of the line, preparation of plants and estimates for the project and administrative and general charges incurred after the Abstract Estimate of a project is sanctioned and before the work construction is completed are initially charged to "3001- Indian Railways - Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations-Surveys" and transferred to this head when the construction of a project has been actually completed. The cost of preliminary expenses connected with extensive alterations to a project requiring the employment of a distinct staff after the general project has been sanctioned or commenced should also be initially charged to "3001-Indian Railways-Policy, Formulation Direction, Research and other Misc. Organisations-Surveys" and transferred to this head when the project has been completed. The cost of petty alignment etc. for which no special staff is engaged should be charged to the estimates for construction. Note.- For the purpose of above rule, a construction should be deemed to have been 'completed' when the line is opened for any kind of traffic. The adjustment from "345 - Indian Railways - Policy Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations- Surveys' to this head should therefore be made in the year in which the line is opened for any kind of traffic.	Preliminary expenses of all kinds connected with all surveys including the Final Location Survey of the line, preparation of plans and estimates for the project and administrative and general charges are initially charged to "3001- Indian Railways - Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organizations- Surveys" and transferred to this head when the project is undertaken.
IRFC Volume-II Explanatory Notes - 1111, 1112, 1113.	All preliminary expenses relating to surveys including Final Location Surveys are initially charged to "3001 - Indian Railways Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations - Surveys" and transferred to this head when the construction of a project has been completed. Note - Same as under explanatory note under the head 1110 above.	All preliminary expenses relating to surveys including Final Location Surveys are initially charged to "3001 - Indian Railways Policy, Formulation, Direction, Research and other Misc. Organizations - Surveys" and transferred to this head when the project is undertaken.

(Authority : Board's letter no. 2024/ACII/2/2 dated 24.01.2024)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)/(Railway Board)

आरबीए सं. 04/2024

सं. 2024/एसी।।/2/2 नई दिल्ली, दिनांक: 24. 01. 2024

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि।

विषय: भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-।। के लिए शुद्धि पर्ची सं. 04

सर्वेक्षणों पर व्यय का आबंटन भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-। के पैरा 724 में दिए गए दिशा-निर्देशों और भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-।। की व्याख्यात्मक टिप्पणियों - 1110, 1111, 1112 और 1113 द्वारा शासित होता है।

2. मामले की समीक्षा की गई है और रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-।। (सर्वेक्षणों पर व्यय के आबंटन के संबंध में) की व्याख्यात्मक टिप्पणियों - 1110, 1111, 1112 और 1113 को अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 04 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

3. कृपया पावती दें।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष नं. 011-23047018
ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in

सं. 2024/एसी।।/2/2 नई दिल्ली, दिनांक: 24. 01. 2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

i) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

ii) प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।

iii) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सी), भारतीय रेलें।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष नं. 011-23047018
ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 04

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-।। (पुनमुर्द्रण संस्करण 2022)

पूंजी और अन्य निर्माण-कार्य व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-।।)

कृपया योजना शीर्ष 1100 को निम्नानुसार आशोधित करें:

योजना शीर्ष	मौजूदा	संशोधित
भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-।। व्याख्यात्मक टिप्पणी-1110	सभी सर्वेक्षणों से संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक व्यय, जिसमें लाइन का अंतिम स्थान सर्वेक्षण, संयंत्र लगाने की तैयारी और परियोजना के लिए प्राक्कलनों तथा किसी परियोजना के सार अनुमान की स्वीकृति के पश्चात् और निर्माण कार्य के पूरा होने से पूर्व उपगत प्रशासनिक और सामान्य प्रभार शामिल हैं जो आरंभ में "3001- भारतीय रेलें- नीति निर्माण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठनात्मक- सर्वेक्षण" से प्रभारित होते हैं और इस शीर्ष में तब स्थानांतरित किए जाएं जब परियोजना का निर्माण कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया हो। परियोजना की स्वीकृति या आरंभ होने के पश्चात् परियोजना के विस्तृत परिवर्तनों, जिनमें विशिष्ट कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, से संबंधित प्रारंभिक व्ययों की लागत "3001- भारतीय रेलें- नीति निर्माण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठनात्मक- सर्वेक्षण" से प्रभारित की जानी चाहिए और इस शीर्ष में तब स्थानांतरित किए जाएं जब परियोजना का निर्माण कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया हो। छोटे-मोटे संरेखण आदि, जिसके लिए कोई विशेष कर्मचारी नियुक्ति नहीं किया जाता है, की लागत को निर्माण प्राक्कलनों से प्रभारित किया जाना चाहिए। टिप्पणी- उपर्युक्त नियम के प्रयोजन के लिए, एक निर्माण कार्य को, 'पूरा किया गया' तब माना जाना चाहिए जब लाइन को किसी भी	सभी सर्वेक्षणों से संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक व्यय, जिसमें लाइन का अंतिम स्थान सर्वेक्षण, योजनाओं की तैयारी तथा परियोजना प्राक्कलन और प्रशासनिक तथा सामान्य प्रभार शामिल हैं, आरंभ में "3001- भारतीय रेलें- नीति निर्माण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठनात्मक- सर्वेक्षण" से प्रभारित होते हैं और इस शीर्ष में तब स्थानांतरित किए जाते हैं जब परियोजना का कार्य आरंभ हो जाता है।

	प्रकार के यातायात के लिए खोल दिया गया हो। इसलिए "345- भारतीय रेलें- नीति निर्माण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठनात्मक- सर्वेक्षण" से इस शीर्ष में समायोजन उस वर्ष में किया जाना चाहिए, जिस वर्ष में लाइन किसी भी प्रकार के यातायात के लिए खोली गई हो।	
भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-।। व्याख्यात्मक टिप्पणियां- 1111, 1112, 1113.	सर्वेक्षणों से संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक व्यय, जिसमें लाइन का अंतिम स्थान सर्वेक्षण शामिल है, "3001- भारतीय रेलें- नीति निर्माण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठनात्मक- सर्वेक्षण" से प्रभारित होते हैं और इस शीर्ष में तब स्थानांतरित किए जाते हैं जब परियोजना का निर्माण कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो गया हो। टिप्पणी - वही - जैसा ऊपर शीर्ष 1110 के अंतर्गत व्याख्यात्मक टिप्पणी में दिया गया है।	सभी सर्वेक्षणों से संबंधित सभी प्रकार के प्रारंभिक व्यय, जिसमें लाइन का अंतिम सर्वेक्षण शामिल है, आरंभ में "3001- भारतीय रेलें- नीति निर्माण, निर्देशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठनात्मक- सर्वेक्षण" से प्रभारित होते हैं और इस शीर्ष में तब स्थानांतरित किए जाते हैं जब परियोजना का कार्य आरंभ हो जाता है।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 24.01.2024 का पत्र सं. 2024/एसी।।/2/2)

....